रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248339 CG-DL-E-25082023-248339

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3644] No. 3644]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2023/भाद्र 3, 1945 NEW DEHI FRIDAY, AUGUST 25, 2023/BHADRA 3, 1945

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

का.आ. 3804(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण सिक्किम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(i) श्री बी.एस. सिक्टल,

अध्यक्ष:

मुख्य वन संरक्षक (सेवानिवृत्त),

वन और पर्यावरण विभाग,

सिक्किम सरकार,

6वां मील, टडांग, गंगटोक, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा शोरुम के पास,

रानीपुल पीएस, गंगटोक – 737102, सिक्किम।

(ii) डॉ. लक्ष्मण शर्मा,

सदस्य;

5478 GI/2023 (1)

प्रचार्य और प्रमुख,

उद्यान कृषि विभाग,

सिक्किम विश्वविद्यालय,

गंगटोक - 737102, सिक्किम।

(iii) मुख्य वन संरक्षक,

सदस्य-सचिव।

-अध्यक्ष:

सदस्य:

सदस्य;

(पर्यावरण एवं मृदा संरक्षण),

वन और पर्यावरण विभाग.

सिक्किम सरकार, वन सचिवालय,

देवराली, गंगटोक – 737102, सिक्किम ।

- 2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 3. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा ।
- 4. प्राधिकरण, सिक्किम सरकार के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमिति की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगा।
- 5. केन्द्रीय सरकार, सिक्किम राज्य सरकार से परामर्श करके, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
- (i) श्री जे.बी. सुब्बा, एच. नं. –गंग/016/एल/2(1) मनवीर कॉलोनी, इंदिरा बाईपास रोड, लोअर बुरटुक, गंगटोक – 737101, सिक्किम।
- (ii) श्री बी.के. छेत्री, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिक्किम, वन सचिवालय, देवराली, गंगटोक – 737102, सिक्किम।
- (iii) श्री एम.के. प्रधान, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सेवानिवृत्त) सिक्किम सरकार, बार पीपल एरिया, सिचे पूर्वी सिक्किम – 737101।
- (iv) श्री डी.जी. श्रेष्ठ, सदस्य; प्रधान निदेशक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान भवन, देवराली, गंगटोक – 737102, सिक्किम।
- (v)
   गनेश चंद्र खनाल,
   सदस्य;

   बहाई स्कूल रोड, टडांग,
   गंगटोक सिक्किम 737102।
- (vi) वन संरक्षक या निदेशक या अपर निदेशक, सदस्य-सचिव। (पर्यावरण और मृदा संरक्षण), वन और पर्यावरण विभाग,

सिक्किम सरकार, वन सचिवालय, देवराली, गंगटोक – 737102, सिक्किम।

- 6. सिमिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे।
- 7. हितों के किसी विरोध से बचने के लिए,-
  - (i) प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य—
    - (क) घोषणा करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन से सहयुक्त है और किस परियोजना प्रस्तावकों के साथ जुड़े हुए है।;
    - (ख) परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी से सबंधित कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाने वाला है या उनके कार्यकाल के दौरान समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाने वाला है; और
  - (ii) यदि पूर्ववर्ती पांच वर्षों में, समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संचालित किया है उस स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया से समिति की बैठकों से स्वयं को अलग कर लेंगे।
- 8. सिमिति, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी और प्रक्रियाओं का अनुकरण करेगी।
- 9. सिमिति, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।
- 10. (1) सिक्किम राज्य सरकार ,प्राधिकरण और समिति के सचिवालय के रुप में कार्य करने वाले अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी।
- (2) सचिवालय वित्तीय और संभारिक सहायता ,जिसके अंतर्गत वास-सुविधा ,परिवहन भी है और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों के बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा ।
- 11. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस ,यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता सिक्किम राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त सुसंगत उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

[फा.सं. आईए3-13/3/2023-आईए.III]

डॉ .सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2023

**S.O. 3804(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for Sikkim (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(i). Shri B.S. Siktel,

-Chairman;

Chief Conservator of Forest (Retd.),

Forest and Environment Department, Government of Sikkim,

6th Mile, Tadong, Gangtok,

Near Mahindra & Mahindra Showrooom, Ranipool PS, Gangtok-737102, Sikkim.

(ii). Dr. Laxuman Sharma,

-Member;

Professor and Head,

Department of Horticulture,

Sikkim University, Gangtok-737102,

Sikkim.

(iii). Chief Conservator of Forest

-Member-Secretary.

(Environment & Soil Conservation),

Forest and Environment Department,

Government of Sikkim, Forest Secretariat, Deorali, Gangtok-737102,

Sikkim.

- 2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
- 4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Sikkim.
- 5. The Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely: -

(i). Shri. J.B Subba,

-Chairman;

H.No-Gtk/016/L/2 (1), Manbir Colony,

Indira Byepass Road, Lower Burtuk, Gangtok-737101, Sikkim

(ii). Shri. B.K Chettri

-Member:

Chief Scientific Officer.

State Pollution Control Board.

Sikkim, Forest Secretariat,

Deorali, Gangtok -737102, Sikkim.

(iii). Shri M.K Pradhan,

(iv).

-Member;

Chief Fire Officer (Retd.),

Government of Sikkim,

Bar Pipal Area, Sichey,

East Sikkim-737101.

Shri D.G Shrestha, -Member;

Principal Director,

Department of Science, Technology and Climate Change,

Vigyan Bhawan,

Deorali, Gangtok -737102, Sikkim.

(v). Ganesh Chandra Khanal

-Member;

Bahai School Road, Tadong, Gangtok,

Sikkim-737102

(vi). Conservator of Forest or Director or Additional Director,

-Member-Secretary.

(Environment and Soil Conservation),

Forest and Environment Department,

Government of Sikkim, Forest Secretariat, Deorali, Gangtok-737102,

Sikkim.

- 6. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 7. In order to avoid any conflict of interest,-
- (i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall-
  - (a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
  - (b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and
- (ii) if in the preceding five years, the Chairman or any Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that situation they shall recuse themselves from the meetings of the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.
- 8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

- 9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the view of the majority shall prevail.
- 10. (1) The State Government of Sikkim shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee.
- (2) The secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.
- 11. The siting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules for the time being inforce of the State Government of Sikkim.

[F. No. IA3-13/3/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.